

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो
नई दिल्ली, -----

अधिसूचना

संख्या केन्द्रीय प्रमाणन विभाग/13:13 - भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988, के विनियम 5 के उप विनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि वे लाइसेंस जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं को उनके आगे दर्शाए गई तिथि से रद्द कर दिया गया है:

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसधारी का नाम एवं पता	लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/प्रक्रम संबद्ध भारतीय मानक सहित	रद्द करने की तिथि

()
उप/अपर महानिदेशक